संख्या- 162 / 2025 / 965 / चार-2025-1911175

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग,
छतर मंजिल परिसर, एम0जी0 रोड,
कैसरबाग, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 29 मार्च, 2025**

विषय:- राज्य संरक्षित स्मारक- चन्द्रवाड़ का किला, फिरोजाबाद पर वृहद अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 2522/प्रथम-79 वृहद (116)/2024, दिनांक 19 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासनादेश संख्या- 37/2025/71/चार-2025-1864230 दिनांक 22 जनवरी 2025 द्वारा संरक्षित स्मारक- शिव मन्दिर अलावलपुर, सीतापुर पर वृहद अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु रू0 115.45 लाख मात्र की प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव करते हुए, राज्य संरक्षित स्मारक- चन्द्रवाड़ का किला, फिरोजाबाद पर वृहद अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल समिति की दिनांक 25.03.2025 को सम्पन्न बैठक में पुरातत्व निदेशालय द्वारा प्रस्तावित संरक्षित स्मारक- चन्द्रवाड़ का किला, फिरोजाबाद पर वृहद अनुरक्षण कार्य कराये जाने के संबंध में नामित कार्यदायी संस्था- यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 174.49 लाख में अनुरक्षण मद में सेन्टेज चार्ज रू0 13.53 लाख को घटाते हुए संशोधित आगणन रू0 160.69 लाख की संस्तुति समिति द्वारा की गयी है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य संरक्षित स्मारक - शिव मन्दिर, अलावलपुर, सीतापुर के वृहद अनुरक्षण कार्य विभागीय स्तर पर कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 115.45 लाख मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या- 37/2025/71/चार-2025-1864230 दिनांक 22 जनवरी 2025 को निरस्त किया जाता है तथा संरक्षित स्मारक- चन्द्रवाड़ का किला, फिरोजाबाद पर वृहद अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में **रू0 160.69 लाख (रू0 एक करोड़ साठ लाख उनहत्तर हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/ 2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, पुरातत्व द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) निदेशक, पुरातत्व द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, पुरातत्व का होगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण / उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(7) प्रश्नगत राज्य संरक्षित स्मारक का कन्जर्वेशन कार्य मूल स्वरूप को ध्यान में रखकर गुणवत्तापूर्वक कराया जायेगा। गुणवत्ता में अधोमानक पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, पुरातत्व की होगी।

(8) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, पुरातत्व द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, पुरातत्व का होगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, भौतिक/ वित्तीय प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे भी शासन को उपलब्ध कराये जाएंगे।

(10) स्वीकृत धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था - यू0पी0पी0सी0एल0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,60,69,000.00 (रुपये एक करोड़ साठ लाख उनहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048001700 स्मारकों का परिरक्षण एवं निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/ 2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 162 /2025 / 965 (1)/चार-2025-1911175 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- प्रबंध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ
5- आहरण एवं वितरण अधिकारी / सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in